जिला–सुपौल
न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सुपौल।
उपस्थित–श्री रवि रंजन मिश्र

एस0टी0 नं0– 135 / 2006

15.10.19 अभियुक्त अशोक हजारी उर्फ पासवान, लिलानन्द पासवान की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। जमानत आवेदन को संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक–26.08.19 को खंडित हुआ है। दिनांक–26.08.19 को अभियुक्तगण का प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया था। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं होने के कारण बंधपत्र खंडित हो गया है। वाद अभिलेख बहस हेतु निर्धारित है। सफाई पक्ष वाद का निष्पादन में कोई रुचि नहीं लेते है। अभियुक्तगण को इस शर्त पर जमानत दी जाती है कि वाद के निष्पादन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार के पश्चात आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन पॉच हजार रुपये के बंधपत्र एवं सामान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने के निर्देश के साथ जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय सहायक बंधपत्र दाखिल करने पर अभिलेख प्रस्तुत करे।

(लेखापित,)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय,

पश्चात्

15.10.19 बंधपत्र दाखिल किया गया। सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित,)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय,